संख्या-11 /2023/1/289348/2023/002-38-2002-001-2-2021

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17/लेखा-पेंशन/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 23 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मिकों को वेतन भत्ते मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में **अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 01-वेतन मद में उपलब्ध बचतों से** लेखाशीर्ष- "2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- 01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- 800-अन्य व्यय- 04-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद में धनराशि रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 लखनऊ का होगा।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष यथावश्यकता वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,000 (रुपये छः करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501018000400 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन **मानक मद** 31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव,

संख्या-11/2023/1/289348/2023/002-38-2002-001-2-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री हरी राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त् (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
8- ग्राम्य विकास अनु0-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No.38-2002(001)/2/2021- -2-

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20222023-38-2002-001-2-2021

विषय:-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों के वेतन भत्तों की मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान सख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020300 (मुख्य अधिष्ठान)	01 (वेतन)	6,66,40,00,000 रुपये छह अरब छियासठ करोड चालीस लाख मात्र	48,58,42,400 रुपये अड़तालीस करोड अट्ठावन लाख बयालीस हजार चार सौ मात्र	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड मात्र	6,60,40,00,000 रुपये छह अरब साठ करोड़ चालीस लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 11,00,00,000	₹ 6,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान सख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2501018000400 (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	67,36,20,000 रुपये सड़सठ करोड़ छतीस लाख बीस हजार मात्र	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	73,36,20,000 रुपये तिहत्तर करोड़ छतीस लाख बीस हजार मात्र	2022-2023
कुल				₹ 11,00,00,000	₹ 6,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) 03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 01 वेतन के अन्तर्गत धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत उपलब्ध है।

(2) 04- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन के मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण धनराशि की अपरिहार्य आवश्यकता है।

उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-451-E-2-203-X-2022-23-दिनांक:13-03-2023

सेवा में,

महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।

Signed by रमेश चन्द्र मिश्र
(रमेश चन्द्र मिश्र)
Date: 16-03-2023 14:28:43
Reason: Approved
उप सचिव

Signed by नीलेश कुमार सिंह
(नीलेश कुमार सिंह)
Date:17-03-2023 14:41:36
Reason: Approved
संयुक्त सचिव।